गृह मंत्रालय
पूर्वोत्तर प्रभाग
****

पूर्वोत्तर राज्यों में सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास

यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II - 'राज्य सूची' की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार, 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्यों की जिम्मेदारियां हैं, संविधान का अनुच्छेद 355 संघ को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अंशाति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाए। इन दायित्वों के अनुसरण में गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा स्थिति की निरंतर निगरानी करता है और सुरक्षा, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करता है।

2. मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 व 2024-25 मणिपुर राज्य को निम्नानुसार विशेष सहायता प्रदान की है: -

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	**योजनाएं**	**मणिपुर को जारी की गई राशि**	
		2023-24	**2024-25**
1	मणिपुर राज्य में हिंसा के कारण विस्थापित लोगों के लिए राहत शिविरों के संचालन के लिए विशेष सहायता (दैनिक उपभोग्य सामग्रियाँ/ भोजन, सफाई वस्तुएं और बुनियादी सुविधाओं आदि के लिए)।	83.58	229.25
2	मणिपुर सरकार को चल रहे कानून और व्यवस्था के संकट से प्रभावित पीड़ितों/ व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास की योजनाएं चलाने के लिए विशेष पैकेज जैसे कि अस्थायी आश्रय, किसानों को क्षतिपूर्ति पैकेज, कपड़ा और व्यक्तिगत सामान आदि।	119.08	77.84
3	राहत शिविरों में रह रहे लोगों को पूरक पोषण और व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता के कार्यान्वयन के लिए विशेष पैकेज	44.60	42.39
	कुल=	**247.26**	**349.48**

3. इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, एक विशेष पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के माध्यम से मणिपुर सरकार को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सहायता प्रदान की गई:

(राशि करोड़ रूपए में)

क्रम	**विशेष पैकेज के अंतर्गत योजना / घटकों का नाम**	**मणिपुर को जारी की गई राशि**
क	सुरक्षा सम्बन्धी व्यय	271.00
ख	मणिपुर में सीएपीएफ की तैनाती के लिए तैनाती शुल्क	500.00
ग	उच्च ब्याज (हुडको) ऋण का पूर्व भुगतान	633.00
घ	विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सहायता:	
	(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पीएमएवाई- जी अनुदान के अतिरिक्त 7000 घरों के लिए प्रति परिवार 1.70 लाख रूपये की टॉप अप सहायता	119.00
	(ii)आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 8000 घरों के लिए प्रति परिवार 75,000 रूपये की सहायता	30.00
	(iii) पूर्ण रूप से जले हुए 7000 घरों के लिए प्रति परिवार 1 लाख रूपये का मुआवजा	70.00
	(iv) पुनर्स्थापित बस्तियों/गांवों में सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण	137.00
	कुल=	**1760.00**

*****